पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 10/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महराजगंज: हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) –

अवगत कराना है कि विपक्षी द्वारा अपने भाईयो के साथ मिलकर वादी लालबचन पुत्र राम आधार राम निवासी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को गाली-गलौज, मारपीट व जान माल की धमकी दी गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 459/24 धारा 115(2)/ 352/ 351(2) बीएनएस पंजीकृत है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/117(2)/109 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक- 07.01.2025 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त सीताराम पुत्र अक्षयवर राम निवासी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.45 बजे में कटान बाजार में अम्बेडकर मूर्ति के पास से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना देवगाँवः चोरी की 02 साईकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.01.2025 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा लालगंज ब्लाक के पास आजमगढ़ वाराणसी हाइवे की तरफ जाने वाली नहर से एक व्यक्ति को चोरी की साइकिल के साथ पकड़ लिया गया। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पप्पू बनवासी पुत्र सुर्यबली निवासी ग्राम रानीपुर रजमों थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ हाल मुकाम लालगंज, थाना देवगाँव, आजमगढ़ बताया तथा साइकिल के सम्बन्ध में बताया कि श्रीकृष्ण गीता इण्टर कालेज के पास से चोरी किया था। पकड़े गये व्यक्ति के निशानदेही पर एक साइकिल हाईवे के बगल मुसहर बस्ती में झोपडी के पीछे बरामद किया गया। उक्त व्यक्ति को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 10.16 बजे बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 008/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-पप्पू बनवासी पुत्र सुर्यबली निवासी ग्राम रानीपुर रजमों थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ हाल मुकाम लालगंज, थाना देवगाँव, आजमगढ़

03. थाना- कोतवाली: प्रतियोगी परीक्षा में दुसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

केन्द्राध्यक्ष SKP इण्टर कालेज पाण्डेय बाजार आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि UPCCSCR 2024-25 में दिनांक- 05.01.20254 को द्वितीय पाली की परीक्षा मे कक्ष स0-012 मे विकास कुमार चौहान पुत्र अयोध्या प्रसाद 404 जंगल छत्रधारी लालगंज गोरखपुर ,वी0आर0 डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उ0प्र0 -273013 का आधार वेरीफिकेशन प्रक्रिया मे KYC अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नही हो पा रहा था अतः संदेह वश जब पूछा गया तो स्वीकार करने से मना कर दिया एंव स्वंय को विकास कुमार चौहान पुत्र अयोध्या प्रसाद बताया। परन्तु जब परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम सत्यम कुमार पुत्र मुकेश प्रसाद सिंह निवासी ग्राम टीवर ,पो0 चकना वादा थाना NTPC जिला पटना प्रदेश विहार बताया। विकास कुमार चौहान पुत्र अयोध्या प्रसाद के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा मे सम्मिलित सत्यम कुमार पुत्र मुकेश प्रसाद सिंह ने यह भी बताया कि कुछ पैसो के बदले उसने यह काम किया है। उक्त के सम्बन्ध में साल्वर सत्यम कुमार पुत्र मुकेश प्रसाद सिंह निवासी ग्राम टीवर ,पो0 चकना वादा थाना NTPC जिला पटना प्रदेश विहार को दिनांक 5.1.25 को समय 17.00 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 07.01.2025 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त अश्वनी कुमार चौधरी पुत्र कृष्णानन्द निवासी सोनाडीह अमिला थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 26 वर्ष को समय 9.30 बजे हीरापट्टी जाने वाले रास्ते के किनारे करतालपुर मे डीह बाबा के स्थान से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा नाम अश्वनी कुमार चौधरी पुत्र कृष्णानन्द नि0 सोनाडीह अमिला थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष है। पटना मे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान सुमन कुमार पुत्र मुकेश कुमार सिंह निवासी ढीवर पोस्ट चकनावादा थाना एनटीपीसी जिला पटना से दोस्ती हुई थी जिसका मो0नं0 88772xxxxx है। मेरे गांव का अमित कुमार गुप्ता पुत्र जवाहर लाल जो गोरखपुर मे रहता है जिसकी सुमन कुमार से भी मित्रता है। अमित का मो0नं0 7054xxxxxx व 7518xxxxxx है। हम सभी लोग पैसे की लालच मे परिक्षार्थी विकास कुमार चौहान के स्थान पर साल्वर सत्यम कुमार का कूट रचित फोटो आधार कार्ड मे परिवर्तित कर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर हाई कोर्ट की परीक्षा मे सत्यम को बैठाये थे इस परीक्षा के लिए आठ लाख रूपये मे तय किया गया था। जिसमे चार लाख सत्यम कुमार को दिया जाना था तथा चार लाख मे हम तीनो लोग आपस मे बाट लेते। सत्यम को परीक्षा मे बैठने के लिये दस हजार रूपये दिय गये थे। शेष पैसा उत्तीर्ण होने पर दिया जाता। अमित कुमार गुप्ता ही विकास कुमार चौहान को हम लोगो से मिलवाया था तथा पूरी डील किया था अमित कुमार गुप्ता व सुमन द्वारा सत्यम को विकास चौहान के स्थान पर परीक्षा देने के लिये भेजा गया था जिसे मैने परीक्षा सेन्टर पर लाकर छोडा था मेरे पास से जो तीन मोबाइल मिली है उसमे से दो मोबाइल मेरी है तथा एक मोबाइल सत्यम की है। इसी मोबाइल से हम लोग वाट्सएप से बात करते थे उसके बात डाटा डिलीट कर देते थे।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 9/2025 धारा 61(2)/319(2)/318(4)/ 338/336(3)/ 340(2) बीएनएस व 6 /10 सार्वजनिक परीक्षा अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार विवरण:-

1-अश्वनी कुमार चौधरी पुत्र कृष्णानन्द निवासी सोनाडीह अमिला थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- 03 मोबाईल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, हे0कां0 सुशील सिंह, कां0 अखिलेश यादव कोतवाली आजमगढ़

04.थाना सिधारी: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

गैंगलीडर गैंग लीडर विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ अपने सह अभियुक्त / सदस्य 1. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर नबालिक लड़कियो के साथ गैंगरेप करने जैसे अपराध कारित करते है। जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। दिनांक 07.06.2024 को थाना कोतवाली पर आवेदिका कोतवाली आजमगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया कि आवेदिका कक्षा 12 की छात्रा है। आवेदिका दिनांक 25.12.2021 को अपने सहेलियो के साथ गिरजाघर घूमने गयी थी कि वहाँ एक लड़का विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी निजामाबाद, रोड रानी की सराय (थाना रानी की सराय आजमगढ़ मिला। बात-चीत कर परिचय बना लिया और आवेदिका से मोबाइल न0 ले लिया। आवेदिका से बराबर बातचीत कर प्रभावित कर लिया। फ़ोन पर बातचीत के माध्यम से आवेदिका को बहला फुसला कर अपने जाल में फसा लिया। आवेदिका ने अपने परिवार से कभी कोई बात डर व लोकलज्जा वश नहीं बताई। उक्त विशाल त्रिपाठी आवेदिका को बहला फुसला कर 28 दिसंबर 2022 को अपने साथ घूमने लेकर चला गया और बनारस, आगरा, मथुरा, दिल्ली और मनाली आदि स्थानों पर होटलो में रखा। विशाल त्रिपाठी के साथ उसका दोस्त उज्जवल भी था, दोनों ने आवेदिका के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। आवेदिका परीक्षा का बहाना बनाकर अपनी माँ से बता कर गयी थी। आवेदिका जब लौट कर घर आयी तो उक्त विशाल त्रिपाठी ने आवेदिका को तरह तरह से प्रलोभन तथा अपने को आत्मा हत्या करने की धमकी देकर घर के सोने के जेवरात जिसमे एक हार, दो जोड़ी कान का झुमका, एक नथिया तथा एक सीकड़ अभियुक्त द्वारा मांग लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 347/2024 धारा 376डी,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1.विशाल त्रिपाठी 2. उज्जवल

गुप्ता उपरोक्त के विरूध्द अभियोग पंजीकरण कर विवेचना प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गई। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा धारा 386 भादवि का बढोत्तरी करते हुए साक्ष्य के आधार पर दिनांक 07.06.2024 को अभियुक्त 1. विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ के विरूध्द धारा 376डी, 506,386 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट मे व अभियुक्त 2. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के विरूध्द धारा 376डी,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट मे आरोप पत्र संख्या ए-288/2024 मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। जो मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है। प्र0नि0 शशि मौली पाण्डेय द्वारा गैंगचार्ट अन्तर्गत धारा 2ख(1) / 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान् जिलामजिस्ट्रेट आजमगढ द्वारा दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक मे विचार विमर्श के दौरान अनुमोदित किया गया है। जिसकी कार्यवृत्ति तैयार की गयी है । जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 595/24 धारा 2ख(1) /3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग बनाम 1. विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 2. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानीकी सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के दिनांक 26.10.2024 को पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- प्र0नि0 शशिचन्द चौधरी मय हमराह का0 शैलेन्द्र यादव का0 दीवान चन्द म0का0 अनुपम सिंह मय वाहन यूपी 50 एजी 0381 के चालक का0 सद्दाम हुसैन द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन लाल गुप्ता साकिन –सेठवल थाना- रानी की सराय आजमगढ़ निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद – आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को रेलवे स्टेशन मोड़ सेठवल थाना रानी की सराय से समय करीब 15.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0- 347/24 धारा 376डी/386/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 595/24 धारा 2ख(1) /3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन लाल गुप्ता साकिन –सेठवल थाना- रानी की सराय आजमगढ़ निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद – आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष